<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर.</u>

निर्णय

संजीव कुमार बनाम राजस्थान राज्य

एकलपीठ दाण्डिक अपील संख्या-174/2002विरूद्ध सेशन प्रकरण संख्या 64/2001 विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-एक(फास्ट ट्रेक) धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2002

--

निर्णय दिनांक : **22 दिसम्बर, 2006**

: उपस्थित:

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री एस के गुप्ता, अधिवक्ता अभियुक्त-अपीलार्थी
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त-अपीलार्थी संजीव कुमार ने यह अपील अन्तर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-एक(फास्ट ट्रेक), धौलपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 64/2001 में पारित आक्षेपित निर्णिय एवं दण्डादेश दिनांक 02.02.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को धारा 304-बी व 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी ठहराते हुए, धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास से व एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड, अदम अदायगी अर्थ दण्ड दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास व धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दो वर्ष के कठोर करावास व 500/- रूपये अर्थ दण्ड, अदम अदायगी अर्थ दण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

अभियोजन मामले के अनुसार अभियुक्त-अपीलार्थी संजीव कुमार गोलस ने एक लिखित सूचना प्रदर्श पी-16 पुलिस थाना- कोतवाली, धोलपुर में इस आशय की प्रस्तुत की, कि उसकी पत्नी बबीता ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी शादी दिनांक 23.11.96 को हुई थी। इस पर मर्ग रिपोर्ट 16/197 दर्ज होकर धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

तत्पश्चात् मृतका के भाई पी.डब्लू.1 जितेन्द्र कुमार गुप्ता ने दिनांक 28.8.97 को रिपोर्ट प्रदर्श पी.13 पुलिस थाना -कोतवाली धोलपुर में इस आशय की दर्ज करवायी कि उसकी बहिन बबीता की शादी दिनांक 23.11.96 को अभियुक्त संजीव गोलस के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही बबीता को उसके ससुराल वाले डराते धमकाते एवं परेशान करते थे तथा उसके साथ बुरी तरह मारपीट भी की जाती थी। संजीव कुमार व उसकी मां एवं भाई महेन्द्र कुमार उससे रूपयों की मांग करते थे, जिसकी पूर्ति में शादी के करीब दो माह बाद दस हजार रूपये और फिर करीब एक माह बाद पन्द्रह हजार रूपये बबीता के ससुराल वालों को यह सोचकर दिये थे कि उसकी बहिन के साथ उत्पीड़न न हो तथा वह खुशहाल रहे लेकिन दिनांक 27.8.97 को उसकी बहिन बबीता को जलाकर मार डाला। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है दिनांक 17.8.97 को जब वह (जितेन्द्र कुमार) व उसकी बहिन अनिता तथा भांजी पूजा धौलपुर आये थे तब बबीता जो कि काफी परेशान थी, ने यह शिकायत की थी कि यह लोग उसे मारने की साजिश रच रहे हैं तथा बबीता ने कई बार टेलीफोन पर भी उसके ससुराल वालों द्वारा उसे तंग व परेशान करने की शिकायत की थी। इस रिपोर्ट पर औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 अपराध अन्तर्गत धारार 304-बी व 498-ए भारतीय दण्ड संहिता का दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया तथा मृतका का शव परीक्षण करवाया गया व औपचारिक अनुसंधान पूर्ण करने के उपरान्त चार्ज शीट अपराध अन्तर्गत धारा 304-बी व 498-ए

भारतीय दण्ड संहिता की प्रस्तुत की गयी, जिसे सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायालय में सेशन सुपुर्द किया गया जहां से अन्तरित होकर यह अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1 फास्ट ट्रेक, धौलपुर को अन्वीक्षा हेतु प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी संजीव कुमार गोलस के विरूद्ध धारा 498-ए व धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित करके सुनाया व समझाया गया, उसने आरोपों से इन्कार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में कुल 19 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया।

अपीलार्थी का बयान अन्तर्गत धारा 313 जाप्ता फौजदारी में लिया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा यह विशेष कथन किया है कि उसने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य में स्वयं को तो डी.डब्लू.4 के रूप में परीक्षित करवाया तथा उसके साथ ही तीन अन्य साक्षीगण डी.डब्लू.1 सतीश चन्द, डी.डब्लू.2 राजकुमारी व डी.डब्लू.3 अवधेश कुमार गुप्ता के बयान करवाये हैं।

अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त उपरोक्तानुसार अभियुक्त-अपीलार्थी संजीव कुमार को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र सामग्री का सावधानीपूवर्क परिशीलन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि मृतका बबीता अपने ससुराल में पूरी तरह प्रसन्न थी तथा घटना के समय वह घर पर अकेली थी, जिसकी घटना से कुछ समय पूर्व ही उसी मकान में निवास कर रही डी.डब्लू.2 राजकुमारी से काफी देर तक बातचीत भी हुई थी। फिर बबीता उठकर अपने कमरे में चली गयी जहां लाईट न होने से उसने लेम्प जलाया तब अचानक उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली, इस तरह बबीता की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना का ही परिणाम थी। अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि बबीता की मृत्यु के बाद दहेज मांगने का आरोप सरसरी रूप से लगा दिया गया है। । इस दुर्घटना में बबीता की मृत्यु के तुरन्त बाद बबीता के पीहर पक्ष के लोगों को टेलीफोन पर सूचना दे दी गयी थी तथा रात्रि को ही भाई व परिवार के सभी व्यक्ति धौलपुर आ गये थे। उन्हीं के सामने एस डी एम, धौलपुर द्वारा 176 जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही की गयी लेकिन किसी भी स्टेज पर दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या की आंशका व्यक्त नहीं की गयी । उनकी ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि स्वतत्र साक्षीगण पी.डब्लू.2 अरूण कुमार गुप्ता एवं डी.डब्लू.2 राजकुमारी की साक्ष्य पर अन्वीक्षा न्यायालय ने उचित प्रकार से विचार नहीं किया तथा जिन साक्षीगण की साक्ष्य को आधार बनाकर अपीलार्थी की दोष सिद्धी की गयी है, वे सभी बबीता के पीहर पक्ष के व्यक्ति है, जिनकी साक्ष्य विसंगतिया व विरोधाभास से भरी हुई है। अपने तर्को के समर्थन में विनिर्णय **हरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2005 (8) सुप्रिम पेज 353, प्रस्तुत किया** जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर मामला दहेज हत्या व उत्पीड़न का नहीं माना। अन्य **उदहृरित विनिर्णय तीर्थ कुमार उर्फ राजरानी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2005(7) सुप्रिम पेज 191** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उस प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में यही मत व्यक्त किया गया है कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे यह परिलक्षित हो कि मृतका की मृत्यु से तुरन्त पूर्व उसके साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अपनी पत्नी बबीता के साथ क्रूरता का व्यवहार करने जैसे कोई विशिष्ट आरोप ही नहीं लगाये हैं और न ही कोई ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, जिससे यह तनिक भी आभास हो कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी को अपने व्यवहार से या अन्यथा आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया था।

विद्वान लोक अभियोजक ने आक्षेपित निर्णय को उचित ठहराते हुए तर्क दिया है कि मृतका बबीता की मृत्यु विवाह के एक वर्ष की अवधि में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है तथा अभियोजन साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि विवाह के बाद से ही अपीलार्थी संजीव कुमार अपनी पत्नी बबीता को दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान करता था। बबीता की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में जलने के कारण हुई थी, यह भी अभियोजन साक्ष्य से सिद्ध हुआ है। इन परिस्थितियों में धारा 113 साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा अपीलार्थी के विरूद्ध लिये जाने का उचित आधार है। उनका यह भी तर्क है कि बबीता की मृत्यु दुर्घटनावश होने की कहानी स्वयं के बचाव में अपीलार्थी द्वारा बाद में गढी गयी है जबकि घटना की रात्रि को ही उसने लिखित में रिपोर्ट प्रदर्श पी16 पुलिस थाना- कोतवाली, धौलपुर में प्रस्तुत कर यह सूचना दी थी कि उसकी पत्नी द्वारा आत्म हत्या कर ली गयी है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया।

इस दहेज हत्या के मामले पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों को दृष्टिपात करना उपयुक्त होगा, जो निम्न प्रकार है:

> **धारा 304-बी Dowary death- "Where the death of a woman is caused by any burns of bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative or her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called ' dowry death', and such husband or relative shall be deemed to have caused her death."**

उपरोक्त प्रावधानों से यह विधिक स्थिति स्पष्ट हो रही है कि धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय दहेज हत्या के अपराध के लिए निम्न तत्वों की सिद्धि की आवश्यकता है:

> **1. किसी महिला की मृत्यु जलने, शरीरिक चोटों स या सामान्य परिस्थितियों अथवा दुर्घटना से अलग अन्य प्रकार से हुई है,**
> **2. ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के सात वर्ष की अवधि में हुई है,**
> **3. ऐसी महिला को उसके पति व पति के अन्य सम्बन्धियों द्वारा सताया गया या क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया,**
> **4. ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार दहेज कीमांग को लेकर अथवा उसके संदर्भ में किया गया,**
> **5. दहेज की मांग को लेकर क्रूरता पूर्ण व्यवहार महिला की मृत्यु के तुरन्त पूर्व किया गया।**

दहेज हत्या के मामले में धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान भी सुसंगत

है, जो निम्न प्रकार है:

> **" 113-B. Presumption as to dowry death.- When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death."**
>
> **Explanation- For the purposes of this section 'dowry death' shall have the same meaning as in S. 304-B of the Indian Penal Code (45 of 1860)**

इस तरह धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम के संयुक्त अध्ययन से यह स्थिति उभरकर आ रही है कि यदि किसी महिला को मृत्यु के तुरन्त पूर्व उसके पति या पति के अन्य सम्बन्धियों द्वारा तंग, परेशान अथवा उसके साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार, दहेज की मांग को लेकर किया तथा ऐसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष की अवधि में सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना से हुई मृत्यु से अन्यथा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई तो यह विधिक उपधारणा ली जावेगी कि ऐसी मृत्यु दहेज हत्या के रूप में कारित की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृत्यु के तुरन्त पूर्व मृतका के साथ की गयी क्रूरता के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह तो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि ऐसा क्रूरता पूर्ण व्यवहार का प्रभाव मृतका पर कितनी अवधि तक रहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनिर्णय हीरा लाल बनाम देहली राज्य ए आई आर 2003 एस सी पेज-2865 में भी यही मत व्यक्त किया है:

> **"The expression 'soon before her death' used in the substantive S. 304-B I.P.C. and S.113-B of the Evidence Act is present with the idea of proximity test. No definite period has been indicated and the expression 'soon before is not defined.'**

उपरोक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सर्वप्रथम यह बिन्दू विचारणीय है कि मृतका की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में आत्महत्या के कारण हुई थी अथवा किसी दुर्घटना का परिणाम थी।

इस संदर्भ **पी.डब्लू.14 डॉ. आर सी गोयल** की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिन्होंने मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मृतका के शव का अन्त: परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 तैयार की थी। डॉ. गोयल के अनुसार मृतका के पैर के दोनों तलवों के अतिरिक्त पूरा शरीर जला हुआ था। उसकी जली हुई चमड़ी कई जगह से काली पड़ी हुई थी। शरीर व कपड़ों से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। पेट फूला हुआ था, चेहरा सूजा हुआ था, जीप बाहर निकली हुई थी एवं सूजी हुई थी। मृतका का जलकर पूरा शरीर सिकुड़ा हुआ था। खोपड़ी के बाल आगे से जले हुए थे। उनकी राय के अनुसार मृतका की मृत्यु लगभग 100 प्रतिशत जलने की वजह से सदमें का परिणाम थी।

अब विचारणीय प्रश्न यह रहता है कि अभियुक्त द्वारा दिये गये तर्कों के अनुसार यह कोई दुर्घटना का तो मामला नहीं है:-

इस संदर्भ में घटना के तुरन्त बाद ही अभियुक्त-अपीलार्थी संजीव कुमार गोलस द्वारा पुलिस थाना कोतवाली, धौलपुर के समक्ष अपनी पत्नी बबीता की मृत्यु के संदर्भ में दी गयी सूचना प्रदर्श पी.16 महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने बबीता द्वारा आग लगाकर आत्महत्या कर लेना अंकित किया है।

बबीता की मृत्यु के सम्बन्ध में **पी.डब्लू.14 डॉ. आर सी गोयल** की साक्ष्य भी पर्याप्त प्रकाश डाल रही है, जिन्होंने मृतका बबीता के शव का अन्त: परीक्षण मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ किया था, ने यह भी कथन किया है कि मृतका के शरीर व कपड़ों से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। इस तरह यह मामला मात्र दुर्घटना का प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि जलते हुए लैम्प से साड़ी के पल्लू द्वारा आग पकड़ने से मृतका के शरीर व कपड़ों से केरोसिन तेल की बदबू आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह घटना 27 अगस्त,97 को सायं करीब 6 बजे घटित हुई है इस सम्बन्ध में तत्समय का कलेण्डर से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि अगस्त माह में सायं के 6 बजे सूर्यास्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में दिन की रोशनी में मृतका द्वारा कमरे में लैम्प जलाने का कोई कारण ही नहीं था, यह भी एक ऐसी परिस्थिति है जो यही दर्शाती है कि मृतका की मृत्यु दुर्घटना का परिणाम नहीं थी अपितु उसके द्वारा केरोसिन डालकर संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की गयी थी।

इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि मृतका बबीता का विवाह अभियुक्त-अपीलार्थी संजीव कुमार के साथ दिनांक 23.11.96 को हुआ था तथा विवाह के एक वर्ष के अन्दर ही संदेहजनक परस्थितियों में दिनांक 27.8.97 को अपने ससुराल में ही बबीता की जलने से मृत्यु हो गयी।

अब शेष विचारणीय प्रश्न यही रहता है कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी संजीव कुमार द्वारा अपनी पत्नी बबीता व उसके पीहर पक्ष के व्यक्तियों से विवाह के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर बबीता को तंग- परेशान व उत्पीड़न किया गया तथा संदिग्ध व अस्वाभाविक परिस्थितियों में बबीता की मृत्यु दहेज हत्या थी ?

इस सम्बन्ध में पी.डब्लू.10 जितेन्द्र कुमार, पी.डब्लू.11 श्रीमती सरोज गुप्ता, पी.डब्लू.12 तारा देवी एवं पी.डब्लू.17 अनिता की साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

पी.डब्लू.10 जितेन्द्र कुमार, जो कि मृतका बबीता का भाई है तथा जिसके द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी, ने कथन किया है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले बबीता को परेशान रखते थे, उसके साथ मारपीट करते व डराते धमकाते थे और 50 हजार रूपये की मांग करते थे। शादी के बाद उसके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं था कि वह दे सके लेकिन उसने एक-सवा महिने बाद इन्तजाम करके 10 हजार रूपये

अपनी बहिन के ससुराल पहुंचाये थे उसके बाद भी बहिन के ससुराल वालों की मांग जारी रही तथा बर्ताव में कोई अन्तर नहीं आया। प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी यह बताने में तो असमर्थ रहा है कि किस निश्चित तिथि को दहेज की मांग की गयी तथा पुलिस बयानों में भी 50 हजार रूपये की मांग के संदर्भ में कुछ विरोधाभास एवं विसंगतिया आयी है लेकिन प्रत्येक साक्षी की साक्ष्य में मामूली विसंगतिया व विरोधाभास आना स्वाभाविक है तथा इसके आधार पर साक्षी की साक्ष्य को नकारने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

पी.डब्लू.11 श्रीमती सरोज गुप्ता, जो कि मृतका की बहिन है, ने अपने कथन में उसकी बहिन को विवाह के बाद से ही संजीव गोलस व उसके घर वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग- परेशान करना, मारपीट करना व उसको खाना नहीं देने जैसे आरोप लगाये हैं तथा यह भी कथन किया है कि उसकी बहिन बबीता के ससुराल वालों की मांग पर उसके भाई जितेन्द्र कुमार द्वारा 10 हजार रूपये उन्हें दिये थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब बबीता अपनी ननद के सम्बन्ध के लिए अपने पति संजीव गोलस के साथ आगरा आयी थी, तब वह उसके घर आयी थी, तब उससे बातचीत हुई थी। वह डरी हुई थी, कमजोर थी व घबराई हुई थी तथा उसने कहा कि दीदी, जितेन्द्र से कह देना कि वह जितना पैसा उसके ससुराल वाले डिमाण्ड कर रहे हैं, दे दें वरना उसे मार देंगे। कमजोरी की वजह से उसका हिमोग्लोबीन भी कम हो गया था।

पी.डब्लू.12 तारा देवी, जो कि मृतका बबीता की माता है, ने बबीता की शादी के बाद से ही उसके ससुराल के लोगों द्वारा 50 हजार रूपये दहेज की मांग करने व बबीता को तंग- परेशन करना कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि मांग की पूर्ति में एक बार 10 हजार रूपये व दुबारा 15 हजार रूपये दिये थे।

इन साक्षीगण से किये गये प्रतिपरीक्षण में पुलिस बयानों से कुछ विरोधाभास तो आये है जो अस्वाभाविक भी नहीं है क्योंकि सामान्यत: साक्षीगण में कुछ सुधार कर बयान देने की मानसिकता देखी जाती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में मृतका बबीता की बहिन **पी.डब्लू.17 अनिता** को भी प्रस्तुत किया है, जो इस मामले की महत्वपूर्ण गवाह है, ने कथन किया है कि उसकी बहिन बबीता का विवाह संजीव गोलस के साथ दिनांक 23.11.96 को हआ था तथा वह स्वयं बबीता से मिलने उसके घर धौलपुर बबीता के मरने के 8 दिन पहले गयी थी। उसकी बबीता से बातचीत हुई थी। तब बबीता ने उसे बताया था

कि उसे परेशान करते हैं व मायके से रूपये मंगवाते हैं तथा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं तथा उसके द्वारा यह कहने पर कि वह मायके से रूपये नहीं ला सकती तो उसके पति संजीव गोलस उसे मारते हैं। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि बबीता ने उससे यह भी कहा था कि भाई से जाकर कह देना जिस पर उसने अपने भाई सत्येन्द्र कुमार, राजेन्द्र व जितेन्द्र कुमार को जाकर बताया था तत्पश्चात् वह विदिशा चली गयी थी। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि बबीता की मृत्यु की सूचना थाने से मायके के पड़ौस में मिलने पर वह अपने तीनों भाईयो, मां, बहिन व भाभियों के साथ रात को डेढ बजे धौलपुर पहुंची थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह भी विशिष्ट कथन किया है कि दिनांक 16.8.97 को वह बबीता से मिलने धौलपुर आयी थी तथा वह धौलपुर शाम को 3-4 बजे पहुंची और दूसरे दिन 5-6 बजे वापस आगरा चली गयी। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहीं भी विचलित होती प्रतीत नहीं हुई तथा इसकी साक्ष्य पूरी तरह से स्थिर हो रही है। इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि बबीता की संदिग्ध अवस्था में जलने से हुई मृत्यु के लगभग 10 दिन पूर्व ही बबीता ने अपने पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे उत्पीडित किये जाने की शिकायत की थी। इस तरह बबीता की संदेहजनक परिस्थितियों में जलने से हुई मृत्यु के तुरन्त कुछ समय पूर्व ही दहेज की मांग को लेकर अपीलार्थी संजीव कुमार गोलस द्वारा अपनी पत्नी बबीता को उत्पीडित किया जाना सिद्ध हो रहा है।

जहां तक **पी.डब्लू.2 अरूण कुमार** की साक्ष्य का प्रश्न है, वे अपीलार्थी संजीव कुमार के निकट सम्बन्धी है। वैसे भी प्राय: यही देखा गया है कि नयी नवेली दुल्हन जो अनेक आशाओं को समेटकर अपने ससुराल जाती है विवाह के प्रारम्भ के दिनों में दहेज की मांग अथवा इससे सम्बन्धित अत्याचारों को वह सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करती और न ही किसी बाह्य व्यक्ति को इसकी शिकायत करती है क्योंकि एक आशा रहती है कि कुछ समय बाद उसका वैवाहिक जीवन स्थायित्व पाकर सुखी जावेगा यही दृष्टिकोण माता-पिता व अन्य परिजनों का रहता है। इन परिस्थितियों में यदि मृतका बबीता द्वारा अपने ससुराल पक्ष के अन्य व्यक्तियों अथवा पड़ौसियों जिनमें पी.डब्लू.2 अरूण कुमार व डी.डब्लू.2 राजकुमारी सम्मिलित है, को दहेज की मांग को लेकर उसके साथ हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की तो यह अस्वाभाविक नहीं है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जबकि कोई महिला अपने पति व ससुराल पक्ष के अन्य व्यक्तियों द्वारा की गयी दहेज की मांग व उसकी तत्काल पूर्ति न होने पर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार की बात वह अपने पीहर पक्ष के परिजनों से समय मिलने पर अवश्य कहेगी, जिससे कि समझाइश तथा यदि सम्भव हो तो दहेज की मांग

की पूर्ति कर उत्पन्न हुई परेशानी से उसे निदान मिल सके। इन्हीं परिस्थितियों में यदि मृतका बबीता ने अपनी बहिन अनिता, भाई जितेन्द्र कुमार व अन्य परिजनों को अपनी व्यथा सुनाई तो यह पूरी तरह स्वाभाविक है।

हमारे मत से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह पूरी तरह सिद्ध हो रहा है कि अपीलार्थी संजीव गोलस द्वारा अपनी पत्नी बबीता के साथ विवाह के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे तंग-परेशान किये जाने लगा जिसकी शिकायत उसने आत्महत्या करने के कुछ दिन पूर्व ही दिनांक 16.8.97 को मिलने आयी अपनी बहिन अनीता से की तथा इससे पूर्व भी अपने भाई व अन्य पीहर पक्ष के परिजनों से भी अपनी व्यथा का वर्णन किया तथा दिनांक 27.8.97 को विवाह के एक वर्ष के भीतर ही संदेहजनक परिस्थितियों में तेल छिड़कर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इन परिस्थितियों में धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम की जो विधिक उपधारणा लेते हुए व उपलब्ध साक्ष्य का समुचित विश्लेषण करते हुए अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा अभियुक्त- अपीलार्थी संजीव कुमार गोलस को धारा 304-बी व 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी पाया है, उसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।

जहां तक पारित किये गये दण्डादेश का प्रश्न है:-

अपीलार्थी संजीव कुमार गोलस को धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड से तथा धारा 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से प्रतीत हो रहा है कि अपीलार्थी संजीव कुमार गोलस लगभग 35 वर्ष का नवयुवक है एवं ऐसी कोई सामग्री पत्रावली पर नहीं आयी है, जिससे यह परिलक्षित हो कि वह आपराधिक चरित्र का व्यक्ति रहा है तथा अन्वीक्षा में भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि वह घटना के समय अपनी दुकान पर था तथा सूचना मिलने पर वह घटना स्थल पर पहुंचा है। अतः प्रकरण के समस्त

तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी को धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के स्थान पर 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से न्यायिक उद्धेश्यों की पूर्ति हो जावेगी।

फलस्वरूप उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अभियुक्त-अपीलार्थी संजीव कुमार गोलस की धारा 304-बी व 498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में की गयी दोष सिद्धी को यथावत रखते हुए उसे धारा 304-बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दिये गये 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के स्थान पर 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है तथा शेष दण्डादेश को यथावत रखा जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)